

रिपोर्टेबल

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार

रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 546/2023

बालासाहेब केशवराव भापकर और अन्य ...याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एवं अन्य ...प्रतिवादी

हेडनोट्स

यह मामला भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत धोखाधड़ी और निवेशकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। इसमें याचिकाकर्ता पर आरोप था कि उन्होंने निवेशकों से जमा राशि जुटाने की एक स्कीम चलाई, जो कि एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम (CIS) के अंतर्गत आती थी, लेकिन इस स्कीम को सेबी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था। सेबी ने इस योजना को गैर-कानूनी और सेबी (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999 का उल्लंघन माना। इसके तहत याचिकाकर्ताओं को स्कीम बंद करने और निवेशकों का पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह योजना CIS नहीं है और सेबी का हस्तक्षेप अनुचित है। **अभिनिर्धारित:** न्यायालय ने माना कि योजना CIS के मापदंडों को पूरा करती है। सेबी को इस प्रकार की योजनाओं की निगरानी करने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने का अधिकार और दायित्व है। याचिकाकर्ताओं को निवेशकों की राशि वापस करने और भविष्य में बिना पंजीकरण कोई योजना न चलाने का निर्देश दिया गया।

आदेश

न्यायमूर्ति सूर्यकांत

1. याची संख्या 1 और 2 पति-पत्नी हैं, जबकि याची संख्या 3 उनका पुत्र है। उनके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अवलंब लेते हुए निम्नलिखित निर्देश चाहे गए हैं:

- (क) प्रतिवादी संख्या 1 को 6 माह की अवधि के भीतर कुर्क की गई संपत्तियों का परिसमापन करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में उचित रिट या कोई निर्देश अथवा आदेश जारी करना एवं/अथवा, वैकल्पिक रूप से, याचीगण को कुर्क की गई संपत्तियों का परिसमापन करने में याची संख्या 1 की सहायता करने की अनुमति प्रदान की जाए;
- (ख) प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जाए कि वह उसके पास रखी राशि को यथाशीघ्र वास्तविक निवेशकों में वितरित करे;
- (ग) प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं को वास्तविक निवेशकों तथा उनके द्वारा जमा की गई राशि की पहचान करने में सहायता करने की अनुमति प्रदान करे; तथा
- (घ) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर माननीय न्यायालय जैसा उचित समझे अन्य एवं अग्रिम आदेश पारित करें।”

2. उपरोक्त अनुतोष इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में घटित निम्नलिखित घटनाओं की रोशनी में चाहे गए हैं: -

- (क) याची संख्या 1 और 2, साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के संस्थापक-निदेशक हैं, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है। याची संख्या 3 भी 2008 में निदेशक के रूप में उक्त कंपनी में शामिल हुआ, कथित तौर पर जब वे कॉलेज में अध्ययनरत था, और उसके बाद उन्होंने वर्ष 2014 में त्यागपत्र दे दिया। याचीगण ने कई अन्य कंपनियां भी आरंभ की, जिन्हें साई ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के नाम से जाना जाता है, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
 - (i) मेसर्स साई प्रसाद प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड (एतस्मिन पश्चात, “एसपीपीएल”)
 - (ii) मेसर्स साई प्रसाद फूड्स लिमिटेड (एतस्मिन पश्चात, “एसपीएफएल”);
 - (iii) मेसर्स साई प्रसाद कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एतस्मिन पश्चात, “एसपीसीएल”)
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एतस्मिन पश्चात, “सेबी”) को दिनांक 02.06.2010 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एसपीएफएल द्वारा अवैध रूप से धन जुटाने का आरोप लगाया गया था। उक्त शिकायत पर कार्रवाई करने के बाद और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य (एतस्मिन पश्चात, “डब्ल्यूटीएम”) ने अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 17.07.2013 को एक अंतरिम आदेश एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें एसपीएफएल

और उसके निदेशकों को मौजूदा योजनाओं या किसी भी नई योजनाओं के तहत निवेशकों से और अधिक धन एकत्र ना करने का निर्देश दिया। सेबी ने एक बार फिर से 14.01.2015 को एसपीएफएल और उसके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध एक आदेश पारित किया, जिसमें उन्हें निवेशकों से कोई भी धन प्राप्त करने, कोई भी सामूहिक निवेश योजना शुरू करने या चलाने और कंपनी की किसी भी संपत्ति को पृथक करने/निस्तारण/बेचने से रोक दिया।

- (ग) सेबी को गोवा, दमन और दीव के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से दिनांक 17.08.2012 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209ए के तहत किए गए निरीक्षण में पाया गया कि एसपीपीएल 4 से 9 वर्षों की अवधि के लिए अपने सहयोगियों से निवेश प्राप्त कर रहा था और संयुक्त उद्यम करार भी कर रहा था। इसके बाद सेबी से अनुरोध किया गया कि वह सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11-कक का उल्लंघन करने के लिए एसपीपीएल के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे।
- (घ) एक प्राथमिक जांच की गई, और दिनांक 17.07.2013 को एक अंतरिम आदेश एवं कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, डब्ल्यूटीएम ने दिनांक 14.01.2015 के अंतिम आदेश के माध्यम से एसपीपीएल और उसके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध निर्देश जारी किए, जो एसपीएफएल के विरुद्ध पारित निर्देशों के समान थे (जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 2(बी) में उल्लेख किया गया है)।
- (ङ) इसके अतिरिक्त, सेबी को 23.09.2013 को एसपीसीएल तथा उसकी सहयोगी कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से जनता से धन संग्रह करने का आरोप लगाया गया था। जब ये शिकायतें जांच के अधीन थीं, तब सेबी को 03.03.2014 को आयकर विभाग से एक रेफरेंस भी प्राप्त हुआ, जिसमें मेसर्स साई प्रसाद समूह द्वारा जनता से 290 करोड़ रुपये की धनराशि संग्रह करने का आरोप लगाया गया था। डब्ल्यूटीएम ने एक बार फिर 22.07.2014 को अंतरिम आदेश जारी किया, जिसके पश्चात 01.02.2016 को अंतिम आदेश जारी किया गया, जिसमें एसपीसीएल तथा उसके निदेशकों को निवेशकों से कोई धन प्राप्त नहीं करने, कोई सामूहिक निवेश योजना शुरू नहीं करने या उसे क्रियान्वित नहीं करने का निर्देश दिया गया। एसपीसीएल तथा उसके निदेशकों को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया तथा उन्हें चार वर्षों की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में क्रय, विक्रय अथवा अन्य लेन-देन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।

(च) 06.10.2013 को सेबी को एसएसएससीएल के विरुद्ध कुछ इसी तरह की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक संयुक्त उद्यम भागीदारी परियोजना के माध्यम से अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था, जो सामूहिक निवेश योजनाओं की प्रकृति का था। जांच करने पर, सेबी ने सेबी अधिनियम की धारा 11-कक(2) का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाया। परिणामस्वरूप, 23.01.2014 को एक अंतरिम आदेश एवम् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें एसएसएससीएल और उसके निदेशकों को निवेशकों से कोई भी पैसा एकत्रित करने और कोई भी सामूहिक निवेश योजना शुरू करने या चलाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। डब्ल्यूटीएम ने आगे एसएसएससीएल को मौजूदा सामूहिक निवेश योजनाओं को बंद करने, ऐसी योजनाओं के तहत उसके द्वारा एकत्र किए गए धन को वापस करने और वापस किए जाने का दावा किए गए धन की जानकारी, निवेशकों को रिफंड का संकेत देने वाले बैंक खाता विवरण और ऐसे रिफंड को स्वीकार करने वाले निवेशकों के जवाब सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, सेबी अधिनियम, 1992 के अध्याय VI-ए के तहत कार्रवाई भी आरंभ की गई तथा उल्लंघनों की जांच के लिए एक न्याय निर्णायक अधिकारी नियुक्त किया गया।

(छ) उपर्युक्त चारों कंपनियों के संबंध में अनुवर्ती घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, सिवाय इसके कि:

(i) शास्तियां अधिरोपित की गई;

(ii) 30,561,041,451.69 रुपये (लगभग तीन हजार छप्पन करोड़ रुपये) की वसूली की कार्रवाई आरंभ की गई; और

(iii) उपरोक्त कंपनियों के स्वामित्व वाली सभी अचल संपत्तियों और आभूषणों को जब्त कर लिया गया, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें प्रकरण संख्या 7/2016 में मुंबई में एमपीआईडी न्यायालय द्वारा नीलाम करने की अनुमति दी गई थी।

(iv) एमपीआईडी न्यायालय और सेबी ने क्रमशः 30.01.2017 और 10.03.2017 के आदेशों के माध्यम से कंपनियों की विभिन्न संपत्तियों और आभूषणों को जब्त किया। इसके पश्चात, समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के माध्यम से, जिसमें 12.02.2020 का आदेश भी शामिल है, सेबी ने महाराष्ट्र राज्य में अतिरिक्त संपत्तियों को जब्त किया और याचिकाकर्ताओं द्वारा रखी गई सभी अचल संपत्तियों में किसी भी तरह के और अधिक भार के

निर्माण को रोका। इसके अलावा, सेबी ने चल या अचल संपत्तियों का परिसमापन करने के लिए 7 सार्वजनिक नीलामी में 100 संपत्तियाँ बेचान की।

- (ज) इस बीच, 16.03.2015 को पुलिस स्टेशन राजहरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ राज्य में याचीगण के विरुद्ध इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 (एतस्मिन पश्चात, "इनामी चिट अधिनियम") की धारा 3, 4 और 5 के तहत एफआईआर नंबर 78/2015 दर्ज की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि याचीगण को उक्त प्रकरण में 27.01.2016 को गिरफ्तार किया गया था।
- (झ) इसके पश्चात छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में कई एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें से अधिकतर एफआईआर की धारा 406, 420 और 34 के साथ इनामी चिट अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 और 10 और महाराष्ट्र वित्तीय (प्रतिष्ठानों में) जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा अधिनियम, 1999 (एतस्मिन पश्चात, "एमपीआईडी अधिनियम") की धारा 3 के तहत पंजीबद्ध की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 28 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि मध्य प्रदेश राज्य में 16 एफआईआर, राजस्थान राज्य में 11 एफआईआर, उत्तर प्रदेश राज्य में 2 एफआईआर और महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
- (ञ) यह भी प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में दर्ज प्रथम प्रकरण में 27.01.2016 को याचीगण को गिरफ्तार किए जाने के बाद, देश भर में दर्ज कई एफआईआर के परिणामस्वरूप याचीगण संख्या 1 और 2 अभी भी विभिन्न न्यायालयों की अभिरक्षा में हैं। याची संख्या 3 को, यद्यपि, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2021 के आदेश द्वारा प्रथम बार जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन 2016 और 2019 में दर्ज इसी तरह के मामलों में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 26.12.2022 को फिर से गिरफ्तार किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें, हालांकि, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 10.04.2023 को एमसीआरसी संख्या 724/2023 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके पश्चात, एसएलपी (दाण्डिक) डी संख्या 43363/2023 में पारित दिनांक 15.04.2024 के आदेश के तहत यह निर्देश दिया गया कि याची संख्या 3 को उसी या संबंधित आरोपों में याचीगण के विरुद्ध दर्ज किसी भी नए मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

3.तथ्यों को समझने के पश्चात, अब हम याचीगण की उस प्रार्थना पर विचार करेंगे जिसमें सेबी को समयबद्ध तरीके से कुर्क की गई संपत्तियों का परिसमापन करने और बिक्री की राशि को यथाशीघ्र वास्तविक निवेशकों को वितरित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इस

संबंध में, सेबी ने उल्लेख किया कि आर्थिक अपराध शाखा (इसके बाद, "ईओडब्ल्यू") द्वारा किए गए फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि याचीगण द्वारा आरंभ की गई कंपनियों को 4700 करोड़ रुपये लौटाने का दायित्व था, यद्यपि डब्ल्यूटीएम द्वारा पारित आदेश के अनुसार वापसी की राशि शुरू में केवल 3049 करोड़ रुपये थी। यह भी विवादित नहीं है कि कंपनियों के स्वामित्व में 498+13 अचल संपत्तियाँ हैं; जिसका विवरण एमपीआईडी न्यायालय, मुंबई के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पक्षकार मोटे तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि सभी निवेशकों को देय राशि की वापसी के संबंध में प्रत्येक कंपनी की संपूर्ण देयता, साथ ही विभिन्न वैधानिक, पूर्वानुमानित या अप्रत्याशित देयताएं, कुछ अचल संपत्तियों की बिक्री आय से समाप्त की जा सकती हैं, यद्यपि उन सभी की नहीं।

4. चूंकि कंपनियों के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियाँ देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं, इसलिए सेबी या मुंबई स्थित एमपीआईडी न्यायालय के लिए समयबद्ध सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इन सभी परिसंपत्तियों को बेचना असंभव प्रतीत हुआ, क्योंकि इस प्रक्रिया में कई जटिल प्रश्न अन्तर्वलित हैं, जैसे:

- (i) अचल संपत्ति का माप एवं सीमांकन में सटीक स्थान क्या है?
- (ii) क्या ऐसी संपत्ति भार मुक्त है या नहीं?
- (iii) क्या विवादित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा किसी कम्पनी के पास है; अथवा नहीं;
- (iv) क्या ऐसी संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई सिविल विवाद किसी सक्षम मंच के समक्ष लंबित है?
- (v) पारदर्शी तरीके से विक्रय की स्थिति में संपत्ति का बाजार मूल्य क्या है?
- (vi) क्या ऐसी संपत्ति पर कोई वैधानिक कर, लेवी, शुल्क या कोई अन्य प्रभार लगा हुआ है?
- (vii) प्रत्येक संपत्ति के विक्रय के लिए क्या तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो सके?; तथा
- (viii) नीलाम की गई संपत्ति के पंजीकरण और नीलामी क्रेता के पक्ष में उसके म्यूटेशन आदि के प्रयोजन के लिए स्थानीय विधियों के अनुसार अनिवार्य प्रक्रिया क्या है?

5. चूंकि सेबी ने निवेशकों के दावों की संतुष्टि के लिए परिसंपत्तियों का परिसमापन करने और धन जुटाने के अपने सद्भाविक आशय से कुछ परिसंपत्तियों की नीलामी पहले ही कर दी है, इसलिए उन्होंने अपने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से बहुत ही उचित रुख अपनाया है,

तथा कंपनियों की अचल परिसंपत्तियों की नीलामी के लिए एक उच्चस्तरीय विक्रय समिति (एतस्मिन पश्चात, "एचपीएससी") के गठन पर सहमति जताई है, ताकि निवेशकों के दावों की संतुष्टि करने और कंपनियों की अन्य सभी विधिक देनदारियों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सीमा तक उन्हें नीलाम किया जा सके। इस संबंध में याचीगण के साथ-साथ सेबी ने भी तौर-तरीके तय करने के लिए सुझावों के अपने व्यापक नोट प्रस्तुत किए हैं।

6 हमने एचपीएससी के गठन के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता/पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों पर बारीकी से विचार किया और निम्नलिखित आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा:

- (क) याचीगण संख्या 1 और 2, 8 वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में बंद हैं;
- (ख) निर्दोष निवेशक एक दशक से अधिक समय से अपनी मेहनत की कमाई की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं;
- (ग) अपनी सर्वोत्तम मंशा और प्रतिबद्धता के बावजूद, सेबी को समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;
- (घ) सेबी या एमपीआईडी न्यायालय, मुंबई के पास प्रत्येक संपत्ति की पहचान करने, उनके बाजार मूल्य का उचित मूल्यांकन करने और फिर उन्हें सही बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए नीलामी करने के लिए आसानी से उपलब्ध बुनियादी ढांचागत और रणनीतिक सुविधाएं नहीं हैं;
- (ङ) लंबित आपराधिक प्रकरणों में सुनवाई का निष्कर्ष अनिश्चितता से ग्रस्त है; और
- (च) याचीगण ने निवेशकों की धनराशि वापस करने के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाई है, और इस संबंध में कोई भी और देरी सभी के लिए हानिकारक होगी।

7. इन असाधारण और विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना उचित समझते हैं, ताकि पक्षों के बीच पूर्ण न्याय हो सके और इसलिए, एचपीएससी का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) माननीय न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट्ट, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय – अध्यक्ष;

- (ख) डॉ. न्यायमूर्ति सतीश चंद्र, पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय – सदस्य;
- (ग) सेबी का एक नामित व्यक्ति जो अधिमानतः निदेशक के पद का अधिकारी होगा – सदस्य;
- (घ) छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को, जो जिलाधीश के पद से न्यून का न हो, नियुक्त करें, ताकि वे राज्य में स्थित संपत्तियों के संबंध में एच.पी.एस.सी. की सहायता कर सकें। जिलाधीश को लिखित रूप में अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाएगा, और राज्य प्रतिनिधि के रूप में कार्यवाही पर हस्ताक्षर करना होगा;
- (ङ) श्री प्रदीप कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (सेवानिवृत्त), सर्वोच्च न्यायालय को एचपीएससी का सदस्य सचिव-सह-नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। वे सभी अभिलेखों के प्रधान संरक्षक होंगे तथा एचपीएससी को सौंपे गए कार्य को प्रभावी बनाने के लिए समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ-साथ राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय करेंगे;
- (च) महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के उप सचिव, जो ईओडब्ल्यू के प्रभारी अधिकारी हैं, विभिन्न राज्यों से स्वामित्व रिकॉर्ड या अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एचपीएससी के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और रिकॉर्ड के रखरखाव और अभिरक्षा के लिए सदस्य-सचिव के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे;
- (छ) एचपीएससी अपने विवेकानुसार निम्नलिखित को संबद्ध कर सकता है:
- (i) एक चार्टर्ड अकाउंटेंट; या
 - (ii) एक सिविल इंजीनियर; या
 - (iii) एक वास्तुकार; या
 - (iv) कोई अन्य विशेषज्ञ, समय-समय पर आवश्यकतानुसार;
- (ज) एचपीएससी:
- (i) सर्वप्रथम, सेबी/ईओडब्ल्यू/एमपीआईडी न्यायालय, मुंबई और विभिन्न राज्यों के उप-पंजीयकों से सभी संपत्ति दस्तावेज/मूल स्वामित्व विलेख और अन्य सुसंगत रिकॉर्ड प्राप्त करें, जहां मेसर्स साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज की संपत्तियाँ स्थित हैं;

- (ii) भौतिक विवरण सहित संपत्ति दस्तावेजों का एक डेटाबेस बनाया जाएगा;
 - (iii) संपत्ति दस्तावेजों/मूल स्वामित्व विलेखों और अन्य आभूषण वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण, डिजिटलीकरण और विशिष्ट संख्या अंकन की व्यवस्था की जाएगी;
 - (iv) इस संबंध में सेबी स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की सहायता से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;
- (झ) एचपीएससी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा कि सभी संपत्तियाँ राज्य सरकार के भूमि अभिलेखों में उसके पक्ष में सौंपी गई/भारग्रस्त दिखाई जाएं;
- (ञ) एचपीएससी प्रत्येक राज्य में कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं का एक समूह नियुक्त करेगा;
- (ट) हम कंपनियों की संपत्तियों के परिसमापन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एचपीएससी को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान करते हैं;
- (ठ) एचपीएससी, विशेषज्ञों की मदद से, एमपीआईडी न्यायालय, मुंबई की देखरेख में पहले से विक्रय गई संपत्तियों की एक सूची तैयार करेगी, साथ ही उन संपत्तियों की एक अलग सूची भी तैयार करेगी जो अभी विक्रय की जानी हैं;
- (ड) एचपीएससी परिसंपत्तियों की नीलामी के लिए ई-नीलामी सेवा प्रदाताओं को नियुक्त करेगा।
- (ढ) इसी प्रकार, सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया आरंभ करने और उसके विज्ञापन के लिए परिसंपत्तियों के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ एजेंसियों को पैनलबद्ध किया जा सकेगा;
- (ण) परिसंपत्तियों के निस्तारण के संबंध में अंतिम निर्णय एचपीएससी के पूर्ण विवेक पर होगा और एक बार विक्रय हो जाने पर संपत्ति सभी भारों से मुक्त होकर क्रेता के पास चली जाएगी।
- (त) याचीगण या उनके नामांकित व्यक्ति नीलामी की कार्रवाई में शामिल होने और संभावित क्रेताओं को लाने के लिए स्वतंत्र होंगे। वे अपने सुझाव, यदि कोई हों, तो एचपीएससी को प्रस्तुत कर सकते हैं। यद्यपि, एचपीएससी के पास उन सुझावों पर निर्णय लेने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा, और याचीगण इस

न्यायालय या किसी अन्य मंच के समक्ष ऐसे विवादों को प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे;

- (थ) कंपनियों द्वारा विधि विज्ञान ऑडिट रिपोर्ट के विरुद्ध प्रस्तुत की गई आपत्तियाँ, यदि कोई हों, और जो एमपीआईडी न्यायालय, मुंबई के समक्ष लंबित बताई गई हैं, उन पर दो माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। एमपीआईडी न्यायालय द्वारा आदेश की एक प्रति एचपीएससी को उसकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएगी; तथा
- (द) सेबी को एक अलग खाता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विक्रय से प्राप्त राशि जमा की जाएगी। इस खाते का संचालन अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित सदस्य तथा सेबी द्वारा नामित सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

धन वापसी प्रक्रिया

8. एचएसपीसी द्वारा परिसंपत्तियों की नीलामी करने तथा विक्रय से प्राप्त राशि को एक समर्पित खाते में समायोजित करने के तरीके को रेखांकित करने के बाद, निवेशकों को धन वापसी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:

- (i) एचपीएससी सभी संबंधित एजेंसियों/राज्य प्रतिनिधियों और यदि आवश्यक हो तो कंपनियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से निवेशकों की संख्या और ऐसे निवेशकों के डेटाबेस की पहचान करेगा;
- (ii) इसके बाद एचपीएससी प्रत्येक निवेशक को लौटाई जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा;
- (iii) एचपीएससी एक प्रारंभिक वसूली सीमा निर्धारित करेगा जिसके बाद धन वापसी प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी;
- (iv) एचपीएससी निवेशकों की निवेश राशि के आधार पर उनकी श्रेणी भी तय करेगा ताकि रिफंड अलग-अलग और एक साथ किया जा सके;
- (v) जैसा कि पहले ही कहा गया है, एचपीएससी सेबी द्वारा नामित बैंक में एक निलंब खाता खोलेगा, एमपीआईडी न्यायालय, मुंबई द्वारा वर्तमान में निगरानी किए जा रहे खाते से सभी राशियों को स्थानांतरित करेगा, और सभी विक्रय आय को उस ब्याज वाले खाते में जमा करेगा;
- (vi) एचपीएससी निवेशकों से उनके दावों का निर्धारण करने के लिए मांगे जाने वाले दस्तावेजों की प्रकृति और निवेशकों द्वारा आवेदन के तरीके (ऑनलाइन/

भौतिक) के साथ-साथ रिफंड के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए रिफंड के तरीके (ऑनलाइन/ड्राफ्ट/दोनों) का निर्णय करेगा; तथा

- (vii) निवेशकों के दावे सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे, जिसका एक अंग्रेजी समाचार पत्र तथा राज्य में लोकप्रिय एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में व्यापक प्रचार किया जाएगा।

याचीगण और उनकी कंपनियों का दायित्व

9. याचीगण और उनकी कंपनियों द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित किया जा सकेगा:

- (i) याचीगण और उनकी कंपनियां तत्काल सभी अचल संपत्तियों/आभूषण मर्दों का ब्यौरा एचपीएससी को प्रस्तुत करेंगी और अपने कब्जे में मौजूद मूल स्वामित्व विलेख या अन्य सुसंगत दस्तावेज भी सौंपेंगी;
- (ii) याचीगण और उनकी कंपनियां विक्रय की पुष्टि होने और एचपीएससी द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंक खाते में पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होने के बाद समय सीमा के भीतर और एचपीएससी के निर्देशों के अनुसार आवश्यक विक्रय विलेख निष्पादित करेंगी; तथा
- (iii) किसी भी लंबित स्वामित्व विवाद की स्थिति में, एचपीएससी ऐसी संपत्तियों में उन्हें नीलाम करने के सीमित उद्देश्य के लिए साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अधिकारों का निर्धारण करेगा। कानूनी बाधाओं को छोड़कर, ऐसी संपत्ति बिना किसी देरी के नीलाम कर दी जाएगी, और याचीगण या उनकी कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधि ऐसे मामलों में भी विक्रय विलेख सहित आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करेंगे।

सचिवीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताएँ

10. इन निर्देशों के क्रियान्वयन के दौरान आवश्यक प्रशासनिक या सचिवीय सहायता के संबंध में निम्नलिखित का पालन किया जा सकेगा:

- (i) सेबी समग्र समन्वय और हितधारकों से पत्राचार प्राप्त करने के उद्देश्य से एचपीएससी को अपना कार्यालय खोलने में सहायता करेगा। एचपीएससी अन्य बुनियादी ढांचे की भी व्यवस्था करेगा और अपने सुचारु संचालन के लिए आवश्यकतानुसार सचिवीय सहायता भी ले सकता है। यदि सेबी के पास उस स्थान पर कोई पर्याप्त कार्यालय स्थान और बुनियादी ढांचा है, जहां एचपीएससी अपना मुख्य कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लेता है, तो सेबी

उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे प्रदान कर सकेगा, जिसका निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जाएगा;

- (ii) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यालय का स्थान बैठकें करने, सचिवीय सेवाओं की बैठक, अभिलेखों के रखरखाव आदि के लिए पर्याप्त होगा;
- (iii) एचपीएससी नीलामी/ई-नीलामी/विज्ञापन/ वापसी प्रक्रिया आदि के लिए एक समर्पित वेबसाइट खोलेगा;
- (iv) एचपीएससी द्वारा प्राप्त दावे/आपत्तियाँ/अभ्यावेदन आदि का भी निपटारा उसके स्तर पर किया जाएगा।
- (v) एचपीएससी प्रत्येक कार्रवाई के लिए समय-सीमा तय करेगा तथा विक्रय प्रक्रिया को यथाशीघ्र तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का प्रयास करेगा; तथा
- (vi) हम इस स्तर पर एचपीएससी से अनुरोध करेंगे कि वह संपूर्ण प्रक्रिया एक वर्ष के भीतर पूरी करने का प्रयास करें।

पारिश्रमिक

11. अंत में, एचपीएससी द्वारा निभाई जाने वाली विशिष्ट जिम्मेदारियों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, सभी सदस्यों के साथ-साथ विद्वान अध्यक्ष के पारिश्रमिक को भी तय करना अनिवार्य है। इस संबंध में, पक्षकारान के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित दो आदेशों को 'दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित किया है।

पहला आदेश 4 मई, 2022 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 995/2019 (नेशनल स्पोर्ट्स एक्सचेंज लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य) में पारित किया गया, जिसमें कुर्क की गई संपत्तियों के विक्रय और निवेशकों के मध्य विक्रय आय के वितरण के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक 'सर्वोच्च न्यायालय समिति' गठित की गई थी। इस न्यायालय ने मानदेय तय करने के बजाय यह टिप्पणी की कि "विद्वान न्यायाधीश अपनी फीस स्वयं तय करेंगे"। दूसरा आदेश 29 मार्च, 2023 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 191/2022 (पिनाक पाणि मोहंती बनाम भारत संघ एवं अन्य) में आई.ए. संख्या 56308/2023 में पारित किया गया, जिसमें सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रुपये की राशि के वितरण की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

किया गया था। इस मामले में, इस न्यायालय के विद्वान पूर्व न्यायाधीश को 15 लाख रुपये प्रति माह मानदेय देने का आदेश दिया गया था, इसके अलावा विद्वान न्यायमित्र को 5 लाख रुपये प्रति माह मानदेय देने का आदेश दिया गया था।

12. इन दो आदेशों पर विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखने के बाद कि मामले की पूरी प्रक्रिया में एक वर्ष से अधिक समय लग सकता है, हमें लगता है कि मासिक मानदेय का निर्धारण वांछनीय नहीं हो सकता है। इसी तरह, हम एचपीएससी के विद्वान अध्यक्ष या सदस्यों को अपना मानदेय स्वयं तय करने का काम नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:-

- (i) एचपीएससी के अध्यक्ष को प्रभावी कार्यवाही होने पर प्रतिदिन 2 लाख रुपये का मानदेय मिलेगा। यह यात्रा, भोजन और अन्य विविध खर्चों के अतिरिक्त होगा जो सौंपी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन में खर्च हो सकते हैं;
- (ii) विद्वान सदस्य, जो उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, प्रभावी कार्यवाही होने पर प्रतिदिन 1.50 लाख रुपये मानदेय पाने के हकदार होंगे। यह यात्रा, भोजन और अन्य विविध व्ययों के अतिरिक्त होगा जो सौंपी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन में खर्च हो सकते हैं;
- (iii) सेबी द्वारा नामित सदस्य किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा-क्योंकि वह सेबी का पूर्णकालिक अधिकारी है। यद्यपि, वह सौंपी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन में होने वाली यात्रा, भोजन और अन्य विविध खर्चों का हकदार होगा;
- (iv) समिति के सदस्य सचिव एवं नोडल अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही होने पर प्रति बैठक 75 हजार रुपये का मानदेय मिलेगा। यह यात्रा, भोजन और अन्य विविध व्ययों के अतिरिक्त होगा जो सौंपी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन में खर्च हो सकते हैं;
- (v) चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिविल इंजीनियर, वास्तुकार, प्रमाणित मूल्यांकक आदि जैसे विशेषज्ञों का पारिश्रमिक एचपीएससी द्वारा निर्धारित किया जाएगा; तथा
- (vi) मानदेय, कार्यालय किराये पर लेने, सचिवीय सहायता, साथ ही नीलामी की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने आदि के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति विक्रय से प्राप्त आय से की जाएगी। प्रारंभिक व्यय की प्रतिपूर्ति उन संपत्तियों की विक्रय से प्राप्त आय से की जाएगी जो पहले ही बेची जा चुकी हैं, अर्थात् वह राशि जो सेबी निलंब खाते में स्थानांतरित करेगी।

13. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को उनके मुख्य सचिवों और वित्त आयुक्तों (राजस्व) के माध्यम से निर्देश दिया जाता है कि वे सौंपे गए कार्य के निष्पादन और पूर्ति के उद्देश्य से एचपीएससी द्वारा अपेक्षित पूर्ण सहयोग और पूर्ण सहायता प्रदान करें। एचपीएससी के अध्यक्ष से प्राप्त निर्देशों का पालन करने में उनकी ओर से कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
14. इसी प्रकार, उपर्युक्त राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया जाता है कि वे कम्पनियों की संपत्तियों को सुरक्षित रखने और उनकी सुरक्षा के लिए, यदि आवश्यक हो, सहायता प्रदान करें।
15. इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो एचपीएससी कम्पनियों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निजी गार्ड तैनात कर सकती है।
16. सेबी और याचीगण को एचपीएससी को पूर्ण सहयोग देने का भी निर्देश दिया जाता है।
17. विक्रय और संवितरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और पहले से ही कारावास में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए, याचीगण संख्या 1 और 2 को प्रकरण संख्या 7/2016 में एमपीआईडी न्यायालय, मुंबई की संतुष्टि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। इसे सभी एफआईआर में अंतरिम जमानत के रूप में माना जाएगा। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले के विशेष तथ्यों के आधार पर यह आदेश देते हैं।
18. एचपीएससी को आवश्यकतानुसार आगे भी दिशा निर्देश या स्पष्टीकरण मांगने की स्वतंत्रता होगी, जिसके लिए इसके सदस्य सचिव एवं नोडल अधिकारी को इस न्यायालय के समक्ष समुचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

.....J.

(SURYA KANT)

.....J.

(K.V. VISWANATHAN)

NEW DELHI

DATED: 15.07.2024

मामले का परिणाम: निर्देश जारी किये गये।